

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय / 2015

जयपुर, दिनांक

:: आज्ञा ::

श्री मनमोहन आचार्य, उप विधि परामर्शी, कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2025 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री मनमोहन आचार्य को दिनांक 01.08.2025 के अपराह्न पश्चात् से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनमोहन आचार्य के विरुद्ध आज तक —

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम—16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम—19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(अंकित रमन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
5. श्री मनमोहन आचार्य, उप विधि परामर्शी, कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
6. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN  
<ankitraman.ar@gmail.com>.

Digitally Signed by ANKIT  
RAMAN  
Designation: Joint Secretary  
Date :02-07-2025 11:23:29